भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 736
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों में वैकल्पिक भाषा का उपयोग

736. श्री माथेश्वरन वी. एस. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य वैकल्पिक भाषा के उपयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त किए जाने संबंधी निर्णय के पीछे क्या तर्क है ; और

(ख) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा के उपयोग के अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हैं. यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जहां तक उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों का संबंध है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) कथन करता है कि इन न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के उप-अनुच्छेद (2) के अधीन यह उपबंध है कि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसकी मुख्य पीठ उस राज्य में है, के राज्य के किसी भी शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा या किसी अन्य भाषा के उपयोग को प्राधिकृत कर सकता है। । और, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 कथन करती है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए या बनाए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजन के लिए और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश किसी ऐसी भाषा (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) में पारित किया गया या बनाया गया है, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिंदी या राज्य की शासकीय भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, इसके साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार के अधीन जारी अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

भारत में उच्च न्यायालयों की सामान्य भाषा के प्रश्न पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में मार्च 1965 में आयोजित हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विचार किया गया था। मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की सिफारिशों के साथ-साथ राजभाषा आयोग (1955) की सिफारिशों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा विचार किया गया, जिसने यह परंपरा अपनाई कि राष्ट्रपति द्वारा तारीख 21.05.1965 को हुई उसकी बैठक में किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कैबिनेट समिति के

तारीख 21.05.1965 के विनिश्चय के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) के उच्च न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया।

(ख) : भारत सरकार को, मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल भाषा के प्रयोग की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परंपरा के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मांगी गई और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने डी.ओ. पत्र, तारीख 16.10.2012 द्वारा बताया कि तारीख 11.10.2012 को पूर्ण न्यायालय की बैठक में सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात प्रस्ताव को स्वीकार न करने का विनिश्चय लिया गया। तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में पहले के विनिश्चयों की समीक्षा करने और जुलाई, 2014 में भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति से अवगत कराने का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने डी.ओ.पत्र, तारीख 18.01.2016 में बताया गया कि पूर्ण न्यायालय ने व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

****